राजस्व वाद 64/2024
जीसीएमएस नंबर–2024/199
सत्यनारायण बनाम राजाराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास अभिलाषा, आर.ए.एस.

वादीगण–

राजस्व वाद संख्या 64/2024

1. सत्यनारायण जांगिड़ पुत्र भागीरथ
   जाति–खाती, निवासी–खिंयाबास, तहसील– जायल, नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. राजाराम पुत्र भागीरथ
2. प्रहलादराम जांगिड़ पुत्र भागीरथ
3. गोपालराम पुत्र भागीरथ
   जातियान–खाती, निवासी–खिंयाबास, तहसील–जायल, नागौर।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री मुनीराम मालोदिया अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमाराम मेघवाल
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व मुन्नीराम मालोदिया अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमाराम मेघवाल प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया नकल जमाबन्दी ग्राम खिंयाबास खाता संख्या 89 तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 , ग्राम रूपनगर नकल जमाबंदी खाता संख्या 106 तहसील जायल सम्वत 2073–2076 की भूमि के मुतदाविया खेतायों का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य बंटवाड़ा माफिक वाद पत्र किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी सत्यनारायण जांगिड के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा खिंयाबास का खेत खसरा नंबर 667 रकबा 4.1925 हैक्टैयर में से 1.0481 हैक्टेयर तथा मौजा रूपनगर के खेत खसरा नंबर 628 रकबा 2.0315 हैक्टेयर में से 0.5079 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 राजाराम के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा खिंयाबास का खेत खसरा नंबर 667 रकबा 4.1925 हैक्टैयर में से 1.0481 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार तथा मौजा रूपनगर के खेत खसरा नंबर 628 रकबा 2.0315 हैक्टेयर में से 0.5079 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

5

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 56 / 2024
केसीआरएस नंबर–2024 / 198
[illegible]

3. प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] के हक में कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा [illegible] का खेत खसरा नंबर 667 रकबा 4.1925 हैक्टेयर में से 1.0491 हैक्टेयर तथा मौजा [illegible] के खेत खसरा नंबर 628 रकबा 2.0315 हैक्टेयर में से 0.5079 हैक्टेयर मालिक नजरीनक्शानुसार रकबा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

4. प्रतिवादी संख्या 3 [illegible] के हक में कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा [illegible] का खेत खसरा नंबर 667 रकबा 4.1925 हैक्टेयर में से 1.0482 हैक्टेयर तथा मौजा [illegible] के खेत खसरा नंबर 628 रकबा 2.0315 हैक्टेयर में से 0.5078 हैक्टेयर मालिक नजरीनक्शानुसार रकबा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित करें। (रहन होने की स्थिति में)

6. नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 3/6/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर मेरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (नागोर)

खर्चा इस मुकदमे के नय व मावद – बाबत् – दीगर – मुतफर्रिक – की अदा करें। हमारे मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई।

मसलाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलेह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प तजवीज मजमून			तजवीज मजमून महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
तलबाना इत्यादि हुक्मनामा			बाबत तुराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
			दफा तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (नागोर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)